न्यायालय, अपर समाहर्ता, रांची।

<u>एस ए आर अपील 23 आर 15/07–08</u>

आनन्द हेरेंज	अपीलकर्ता
बनाम	
डॉन बास्को कैथलिक मिशन वगैरह	प्रतिवादी

<u>आदेश</u>

15
04.04.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 198/04–05 में श्री देवनीस किडो विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 19.04.2006 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन की वापसी हेतु प्रतिवादी संख्या 2 अशोक मुण्डा द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 डॉन बास्को कैथलिक मिशन कोकर के विरुद्ध दायर आवेदन खारिज कर दिया है।

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
कोकर	73	1191	2.23 एकड

अपील आवेदन में कहा गया है कि विवादित जमीन खतियान में सुनी महतो एवं सुखु महतो वगैरह के नाम दर्ज है। सुनी महतो के पुत्र बिरसा मुंण्डा थे। बिरसा के तीन संतान बंधु, झीपा एवं गुल्लु मुण्डा हुए। झीपा मुण्डा के तीन पुत्र देवनाथ, अशोक एवं मुना मुण्डा हैं। बिरसा मुण्डा ने 20.01.1945 को विवादित जमीन फ्रांसिस हेरेंज पिता डिम्बु हेरेंज को निबंधित वसीका द्वारा बिक्री कर दिया था। वर्तमान अपीलकर्ता फ्रंसिस हेरेंज के वैधानिक उत्तराधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने निम्न न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध जमीन वापसी का मुकदमा किया जिसमें अपीलकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपील आवेदन में बताया गया है कि दिनांक 17.06.2007 को जब अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध जमीन वापसी का मामला दायर करने निम्न न्यायालय में गये तो उन्हें बताया गया कि इस जमीन से संबंधित मुकदमे का फैसला प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में हो चुका है। छानबीन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 2 ने

प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध जमीन वापसी का वाद दायर किया था जो खारिज हो चुका है। अपील आवेदन में यह दावा किया गया है कि निम्न न्यायालय में मुकदमा ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर किया गया जिसका हक एवं अधिकार विवादित जमीन पर 1945 में ही समाप्त हो चुका है।

प्रतिवादी के जवाब में बताया गया है कि विवादित जमीन खतियान में सुनी महतो एवं सुखु महतो के नाम दर्ज है। खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी बिरसा मुण्डा ने 1945 में विवादित जमीन फ्रांसिस हेरेंज को निबंधित वसीका से बिक्री कर दिया। फ्रांसिस ने इसे निबंणित पट्टा द्वारा छपरबंदी में परिवर्तित किया तथा तत्कालीन जमींदार द्वारा उन्हें लगान रसीद भी निर्गत किया जाने लगा। बाद में फ्रांसिस हेरेंज ने विवादित 2.23 एकड जमीन को निबंधित वसीका से बाबु संत कुमार मित्तर को हस्तांतरित कर दिया। संत कुमार ने दिनांक 11.1.1947 को विवादित जमीन निबंधित वसीका से बॉनबिहारी घोष को बिक्री किया जिन्होंने इसे अपनी पुत्री पुष्पा घोष को निबंधित दानपत्र के द्वारा हस्तांतरित किया। पुष्पा घोष ने निबंधित बिक्रयपत्र से प्रतिवादी संख्या 1 डॉन बास्को कैथोलिक मिशन को भूमि हस्तांतरित किया है। जवाब में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में बंधु मुण्डा ने अपने को खतियानी रैयत का उत्तराधिकारी बताते हुए एस ए आर वाद संख्या 259/92—93 दायर किया था जो खारिज हो गया था।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन बिरसा मुण्डा ने फ्रांसिस हेरेंज को निबंधित बिक्री पट्टा द्वारा हस्तांतरित किया था। उस समय पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं थी। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि फ्रांसिस असम चले गये एवं वापस लौटकर नहीं आये। किसी छद्म व्यक्ति द्वारा फ्रांसिस हेरेंज बनकर जमीन की बिक्री की गयी। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित जमीन छपरबंदी नहीं है क्योंकि 2.23 एकड़ भूमि छपरबंदी नहीं हो सकती तथा खतियान मं भी घरबाड़ी दर्ज नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलकर्ता ने निम्न न्यायालय में जमीन वापसी हेतु आवेदन दिया जिसे स्वीकार नहीं किया गया। इनका अनुरोध है कि वाद को निम्न न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर दिया जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता निम्न न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। डॉन बास्को मिशन ने पुष्पा घोष से जमीन खरीदा है तथा बिक्री पट्टे में छपरबंदी दर्ज है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि बंधु मुण्डा ने पहले भी एस ए आर वाद संख्या 259/92–93 दायर किया था जो खारिज हो गया था।

वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता आनन्द हेरेंज को निम्न न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। वे फ्रांसिस हेरेंज के उत्तराधिकारी हैं और उनका दावा है कि फ्रांसिस हेरेंज असम चले गये थे और उन्होंने जमीन का हस्तांतरण नहीं किया। अपीलकर्ता को एस ए आर कोर्ट में अपने कागजात और अन्य साक्ष्य उपस्थापित करने का मौका नहीं मिला।

अतएव निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है और अपील स्वीकृत करते हुए इसकी पुर्नसुनवाई हेतु रिमान्ड किया जाता है।

दिनांकः– 4.04.2008 लेखापित वो संशोधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता
रॉची।